

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.: 1680 का संशोधन सहीत नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1680

विषय / Sub : रिशयन वायुयान हेतु लैंप्स एसएम 6.3 वोल्ट्स-1.4 वाट्स, एसएम-28 वोल्ट्स 38-38 वाट्स एवं

एसएम 28 वोल्ट्स-2 वाट्स

Lamps SM 6.3V-1.4W, SM-28V 38 - 38 W and SM 28V-2W for Russian Aircrafts

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स जे एस लैंप इंडस्ट्रीस, प्लॉट सं. 32, वार्ड सं. 9, पंजाब नैशनल बैंक के सामने, पुराना फरीदाबाद – 121 002 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित ''लैंप्स एसएम 6.3 वोल्ट्स-1.4 वाट्स, एसएम-28 वोल्ट्स 38-38 वाट्स एवं एसएम 28 वोल्ट्स -2 वाट्स'' को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1680, दिनांक 04 अक्तूबर 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1680 जारी किया गया था और जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

This is to state that the "Lamps SM 6.3V-1.4W, SM-28V 38-38W and SM 28V-2W, designed, developed and manufactured by M/s J S Lamp Industries, Plot No. 32, Ward No. 9, Opposite Punjab National Bank, Old Faridabad – 121 002 was issued with Type Approval No.:1680 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1680, dated: 04th October 2011 with its validity up to 30th June 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 सितम्बर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अगस्त 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (नासिक), ओझर टाउनिशिष – 422 207, नासिक, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01^{st} September 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31^{st} August 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), Ojhar Township – 422 207, Nasik, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

पृष्ठ/Page 01 of 02

ਸੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1680

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1680, दिनांक 04 अक्तूबर 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The **Para four (04)** of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1680, dated: 04th October 2011 is amended as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1680/1R

दिनांक/Date : **3** *January 2017* फैक्स सं./*Fax No:* 080-25230856

पी. जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)

Band 2018 (2/01/2017.